

उत्तराखण्ड शासन
 संस्कृत शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-4)
 संख्या- ८०/संशि०/xxiv-४/२०१०
 देहरादून: दिनांक १० मई २०११

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2007 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित परिनियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियमावली, 2011 है।
 (2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

परिनियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल परिनियमावली कहा गया है) के वर्तमान परिनियम 4 के उपपरिनियम 4 के पश्चात् निम्नवत् उपपरिनियम 5 रख दिया जायेगा; अर्थात् :-
 “4.5 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (कक्षा 1 से 5) तक प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कहा जायेगा।

इन प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों (कक्षा-1 से 5) के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :—

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान
01	प्रधानाध्यापक	रु० ९३००-३४,८०० ग्रेड पे-४६००
02	सहायक अध्यापक	रु० ९३००-३४,८०० ग्रेड पे-४२००

परिनियम 6 का संशोधन 3. मूल परिनियमावली के वर्तमान परिनियम 6 के प्रस्तर 4 तथा 8 को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रस्तर रख दिए जायेंगे; अर्थात् :-
 “4. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय – सीधी भर्ती द्वारा।

- 4(क).** प्रधानाध्यापक प्राथमिक संस्कृत विद्यालय – सीधी भर्ती द्वारा ।
- “8.** सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय उत्तर मध्यमा / पूर्व मध्यमा / उच्च प्राथमिक (प्रथमा) / प्राथमिक—सीधी भर्ती द्वारा ।”

**परिनियम 7 का
संशोधन**

4. मूल परिनियमावली के स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान परिनियम-7.1(ii)8, 7.1(iii), 7.2(i)(दो), 7.2(ii)8, 7.2(iii), 7.3(i), 7.3(ii), 7.3(iii), 7.4(i)(दो), 7.4(ii), 7.4(iii), 7.5, 7.5(i), 7.5(ii)(6), 7.5(iii), 7.6, 7.6(iii) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये परिनियम रख दिये जायेंगे; अर्थात् :-

7.1(ii)8

पी0एच0डी0 उपाधि हेतु गुणवत्ता
अंक- 20

7(1)(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य— सभापति।
- (2) प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य – सदस्य।
- (3) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी— सदस्य।

7.2 (i)

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/ बी0 एड0) और संस्कृत माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का 05 वर्षों का अनुभव।

अथवा

संस्कृत माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव।

7(ii)

(8) पी0एच0डी0 उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक- 10

7.1(ii)8

पी0एच0डी0/डी0फिल उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक- 30

7(1)(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य— सभापति।
- (2) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी— सदस्य।
- (3) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य— सदस्य।
- (4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी— सदस्य।

टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.2 (i)

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/ बी0 एड0) और संस्कृत माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का 03 वर्ष का अनुभव।
अथवा

संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों की माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का 07 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी— न्यूनतम अर्हता में परम्परागत योग्यता, वेद, व्याकरण, साहित्य आदि) विषयों हेतु सम्बन्धित विषय में आचार्य उपाधि धारक तथा (हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र आदि) आधुनिक विषयों हेतु एम0ए0 उपाधि धारक अर्ह होंगे।

7(ii)

(8) पी0एच0डी0/समकक्ष उपाधि हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक- 25

7.2(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—
- (2) प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी सदस्य। संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य
- (3) जिलाधिकारी द्वारा नामित समूह के का एक राजपत्रित अधिकारी—

सभापति।

7.2(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—
- (2) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—
- (3) प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य—
- (4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी—

टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.3 प्रधानाध्यापक प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथमा) के पद पर सीधी भर्ती—

(i) न्यूनतम अर्हता—

(एक) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से है)।

(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/बी0एड0) और संस्कृत कक्षाओं के अध्यापन का 05 वर्षों का अनुभव।

अथवा

संस्कृत कक्षाओं के अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव।

7.3

(ii) गुणवत्ता अंक बिन्दु संख्या 3, 4, 5 व 8 3. शास्त्री उपाधि/स्नातक अंकों का प्रतिशत x 3	30
10 4. आचार्य/स्तनातकोत्तर अंकों का प्रतिशत x 4	40

7.3

(ii) गुणवत्ता अंक बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 3. शास्त्री उपाधि/स्नातक अंकों का प्रतिशत x 5	50
10 4. आचार्य/स्तनातकोत्तर अंकों का प्रतिशत x 2	20

10	5. शिक्षा शास्त्री/ बी०एड०	लिखित
<u>अंको का प्रतिशत X 1</u>	10	
10	कियात्मक	
<u>अंको का प्रतिशत X 1</u>	10	
10	8. पी०एच०डी० उपाधि गुणवत्ता अंक—15	

7.2(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का समाप्ति।
प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट
प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—
- (2) प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी सदस्य।
संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय
का प्रधानाचार्य—
- (3) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य।
राजपत्रित अधिकारी—

7.4

- (i) न्यूनतम अर्हता
(दो) का अथवा
स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के
अध्यापन का 10 वर्षों का अनुभव।

7.4

- (ii) (7) पी०एच० डी०/ एम०फिल० उपाधि हेतु
निर्धारित गुणवत्ता के अधिकतम अंक— 20

7.4(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का समाप्ति।
प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट
प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—

10	5. शिक्षा शास्त्री/ बी०एड०/ बी०टी०सी०	लिखित
<u>अंको का प्रतिशत X 1</u>	10	
10	कियात्मक	
<u>अंको का प्रतिशत X 1</u>	10	
10	8. पी०एच०डी० अथवा समकक्ष उपाधि गुणवत्ता अंक— 20	

7.2(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या समाप्ति।
उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का
कोई सदस्य—

(2) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत सदस्य।
विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—

(3) प्रबन्धाधिकरण द्वारा नामित किसी सदस्य।
संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य—

(4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित सदस्य।
एक राजपत्रित अधिकारी—

टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में
उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.4

- (i) न्यूनतम अर्हता
(दो) का अथवा
शास्त्री/आचार्य कक्षाओं के अध्यापन का 06 वर्ष
का अनुभव।

टिप्पणी— न्यूनतम अर्हता में परम्परागत (ज्योतिष, वेदव्याकरण, साहित्य आदि) विषयों हेतु तत्-तद विषय में आचार्य उपाधि धारक तथा (हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र आदि) आधुनिक विषयों हेतु एम०ए० उपाधि धारक अर्ह होंगे।

7.4

- (ii) 1. पी०एच०डी— 25
2. एम० फिल— 10

7.4(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या समाप्ति।
उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का
कोई सदस्य—

- (2) सम्बन्धित विद्यालय का सदस्य।
प्रधानाचार्य
(3) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य।
राजपत्रित अधिकारी—

- (2) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—
(3) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य सदस्य।
(4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी—
टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.5 प्रवक्ता (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—उत्तर मध्यमा) के पद पर सीधी भर्ती—

7.5

- (i) न्यूनतम अर्हता
(एक) सम्बद्ध विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (उच्च द्वितीय श्रेणी में उपाधि का अर्थ सुसंगत उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से है)।

- (दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/ बी०एड०)

अथवा

संस्कृत कक्षाओं में 05 वर्षों का शिक्षण अनुभव।

7.5(ii)(6)

अध्यापन अनुभव अधिकतम अंक -45
(03 अंक प्रतिवर्ष)

7.5(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का सभापति।
प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—
(2) सम्बन्धित विद्यालय का सदस्य।
प्रधानाचार्य —
(3) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य।
राजपत्रित अधिकारी—

7.5 प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय— उत्तर मध्यमा) के पद पर सीधी भर्ती –

7.5

- (i) न्यूनतम अर्हता
(एक) सम्बद्ध विषय में आचार्य उपाधि न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक।
(दो) प्रशिक्षण उपाधि (शिक्षा शास्त्री/ बी०एड०)

अथवा

संस्कृत विद्यालयों में 03 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी— न्यूनतम अर्हता में परम्परागत (ज्योतिष, वेद, व्याकरण, साहित्य आदि) विषयों हेतु तत्-तद् विषय में आचार्य उपाधि धारक तथा (हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र आदि) आधुनिक विषयों हेतु एम०ए० उपाधि धारक अर्ह होंगे।

7.5(ii)(6)

अध्यापन अनुभव अधिकतम अंक -30
(03 अंक प्रतिवर्ष)

7.5(iii)

- (1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य।

- (2) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—

- (3) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य— सदस्य।

- (4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी—

टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

7.6—सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—पूर्व मध्यमा/प्रथमा) के पद पर सीर्धी भर्ती।

7.6(iii)

(1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का सभापति। प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—

(2) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा सदस्य। नामित एक राजपत्रित अधिकारी—

(3) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—

(4) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य—

7.6—सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—/पूर्व मध्यमा/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक) के पद पर सीर्धी भर्ती।

7.6(iii)

(1) सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का प्रधान या सभापति। उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धाधिकरण का कोई सदस्य—

(2) कुलपति उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी—

(3) सम्बन्धित महाविद्यालय का सदस्य प्रधानाचार्य—

(4) निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नामित सदस्य। एक राजपत्रित अधिकारी—

टिप्पणी— विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों में से एक अधिकारी का चयन समिति में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

परिनियम 8 का

5.

संशोधन

मूल परिनियमादलो के रत्नम्-1 में दिये गये वर्तमान परिनियम 8.3(ख), 8.7(i) के स्थान पर रत्नम्-2 में दिये गये परिनियम रख दिये जायेंगे; अर्थात्—

8.3

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाय। आवेदन पत्र में स्पष्ट होगा कि अभ्यर्थी आवेदन प्राच्य भाषा (साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, वेद, पुराण आदि) विषयों के लिए कर रहा है या आधुनिक विषय (हिन्दी, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, विज्ञान आदि) के लिए। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'घ' पर दिया गया है।

8.7(1) चयन समिति की सिफारिश और सम्बन्धित निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा। जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी के घथासमय कार्यभार

8.3

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाय। आवेदन पत्र में स्पष्ट होगा कि अभ्यर्थी आवेदन प्राच्य भाषा (साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, वेद, पुराण आदि) विषयों के लिए कर रहा है या आधुनिक विषय (हिन्दी, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, विज्ञान आदि) के लिए। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'घ' पर दिया गया है।

8.7(1) चयन समिति की सिफारिश और सम्बन्धित निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी के घथासमय कार्यभार

करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

ग्रहण न करने पर कमशः द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

परिनियम 9 का 6. मूल परिनियमावली के —

संशोधन (1) वर्तमान परिनियम 9.1(ii) के पश्चात् निम्नलिखित परिनियम 9.1(iii) रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

“(भाग-3) पदोन्नति की व्यवस्था

परिनियम 9.1(iii)

9.1-(iii) टिप्पणी— संस्कृत विद्यालय/ महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक जो 31 मई, 2010 तक कार्यरत रहते हुये उत्तराखण्ड संस्कृत परिनियमावली 2007 एवं प्रथम संशोधन परिनियमावली 02 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक पद के अर्हता पूर्ण करते हैं, की सेवाओं को देखते हुये प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के पद एवं वेतनमान में समायोजित किया जायेगा एवं जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक 31 मई 2010 तक मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें परिनियमावली प्रकाशित होने के तिथि से न्यूनतम 03 वर्ष के अन्दर अर्हता पूर्ण होने पर प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जायेगा।”

(2) मूल परिनियमावली के स्तम्भ-1 के —

(क) वर्तमान परिनियम 9.2(i)(4) के स्थान पर स्तम्भ-2 पर उल्लिखित परिनियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

स्तम्भ-1

वर्तमान परिनियम

(भाग-3) पदोन्नति की व्यवस्था

9.2(i) (4) सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय—पूर्व मध्यमा/प्रथमा)

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित परिनियम

“(भाग-3) पदोन्नति की व्यवस्था

9.2(i) (4) सहायक अध्यापक (संस्कृत माध्यमिक विद्यालय— पूर्व मध्यमा / उच्च प्राथमिक/प्राथमिक)”

(ख) वर्तमान परिनियम 9 के उपपरिनियम 3 के पश्चात् उपपरिनियम 4 निम्नवत् रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

“9.4 स्थानान्तरण— प्रधानाचार्य, प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण राज्य में पारस्परिक स्थानान्तरण के रूप में दोनों संस्थाओं की सहमति के उपरान्त जिला स्तर के सक्षम अधिकारी की संस्तुति होने पर निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा किया जा सकेगा।”

परिशिष्ट का 7. मूल परिनियमावली के —

संशोधन (क) वर्तमान परिशिष्ट ‘ख’ के स्थान पर स्तम्भ-2 पर रखा गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

क्र.सं.

01

स्तम्भ-1
वर्तमान परिशिष्ट

रजिस्ट्रीकृत आवरण में
 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
 स्थान.....
 जिला.....
 विषय— संस्था के अध्यापक/प्रधान की
 नियुक्ति।

महोदय/महोदया

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन..... के पद के लिए किया गया था तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक..... द्वारा आपको रूपये के वेतनक्रम में रूपये के प्रारम्भिक वेतन तथा अनुमन्य मंहगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से के पद पर नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक के 15 दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि:- निदेशालय/जनपदीय सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा..... निदेशक संस्कृत शिक्षा संस्कृत निदेशालय..... को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ख) वर्तमान परिशिष्ट 'ग' के स्थान पर स्तम्भ-2 पर रखा गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

स्तम्भ-1
वर्तमान परिशिष्ट

क्र.
सं.

01

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित परिशिष्ट

संख्या..... दिनांक.....

संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....

स्थान.....

जिला.....

विषय— संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन..... के पद के लिए किया गया था तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक..... द्वारा आपको रूपये के वेतनक्रम में रूपये के प्रारम्भिक वेतन तथा अनुमन्य मंहगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से के पद पर नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक के 15 दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि:- 1—जिला शिक्षा अधिकारी

2—संस्कृत शिक्षा निदेशक..... को सूचनार्थ प्रेषित।

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित परिशिष्ट

अनुभव प्रमाण पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पुत्र/ पुत्री
 श्री..... ने दिनांक..... से
 दिनांक..... तक संस्था..... ने
 के रूप में कार्य किया है/ कार्य कर रहे है।
 इस अवधि इनके वेतन का भुगतान.....
 बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता
 संख्या है/था।

इस अवधि में इनके वेतन का भुगतान संस्था के
 रोकड़ बही के माध्यम से नकद किया गया है, जिसकी
 अंकना संस्था की रोकड़ बही संख्या के
 पृष्ठ..... से पृष्ठ..... तक अंकित है।
 दिनांक
 हस्ताक्षर
 नाम.....
 पद—प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
 /प्रबन्धक.....
 संस्था का नाम.....
 ...
 मुहर.....

संस्था के अभिलेखो से सत्यापित
 दिनांक
 हस्ताक्षर.....
 मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक....
 ...
 नाम.....
 मोहर.....

जो लागू न हो, काट दें।

आज्ञा से

डी०के०कोटिया,
सचिव

श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....
 पुत्र/ पुत्री श्री..... ने दिनांक..... से
 दिनांक..... तक संस्था..... में
 प्रथमा/पूर्व मध्यमा/उत्तर
 मध्यमा/शास्त्री/आचार्य कक्षा/कक्षाओं में
 वेतनकम...../नियत वेतन पर
 सहायक अध्यापक/स.प्रवक्ता /
 प्रवक्ता/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप
 में कार्य किया है/ कार्य कर रहे है।

इस अवधि इनके वेतन का भुगतान....
 बैंक के माध्यम से किया गया है।
 इनका खाता संख्या है/था।

इस अवधि में इनके वेतन का भुगतान संस्था के रोकड़ बही के माध्यम से नकद किया गया है, जिसकी अंकना संस्था की रोकड़ बही संख्या के पृष्ठ..... से पृष्ठ..... तक अंकित है।
 दिनांक
 हस्ताक्षर
 नाम.....
 ...

पद—प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक /प्रबन्धक...
 संस्था का नाम.....
 मुहर.....

संस्था के अभिलेखो से सत्यापित
 दिनांक
 हस्ताक्षर.....
 निदेशक
 जनपदीय सहायक शिक्षा
 संस्कृत शिक्षा
 /जिला शिक्षा अधिकारी
 नाम.....
 मोहर.....

जो लागू न हो, काट दें।

टिप्पणी— किसी प्रवक्ता/अध्यापक ने अध्यापन के अतिरिक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया हो तो अनुभव प्रमाण पत्र पृथक—पृथक कार्यावधि में बनाये जायेंगे।

(ग) वर्तमान परिशिष्ट 'ग' के पश्चात् एक नया परिशिष्ट 'घ' निम्नवत् रख दिया जायेगा; अर्थात् :-

प्रारूप—घ

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी.....
आवेदन पत्र क्रमांक.....
आवेदन शुल्क का विवरण.....
(सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भरा जाये) मोहर सहित।

विज्ञापन संख्या..... दिनांक..... विद्यालय का नाम.....

1. पदनाम (विषय सहित) जिसके लिए आवेदन दे रहा है..... वेतनक्रम.....

2. अध्यर्थी/अध्यर्थिनी का नाम..... गृह जनपद

3. पिता/पति का नाम

4. जन्म तिथि नागरिकता

5. पत्र व्यवहार का पता.....

6. स्थायी पता.....

7. लिंग (पुरुष / महिला) दूरभाष नं.....

8. सेवायोजन कार्यालय का नाम..... पंजीकरण दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

9. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यतायें/प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र तालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।

पासपोर्ट आकार की
फोटो राजपत्रित
अधिकारी से
प्रमाणित

शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता

परीक्षा का नाम	वर्ष	बोर्ड/विभिन्न विद्यालय (जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की गई)	विषय	प्राप्त श्रेणी पूर्णांक/प्राप्तांक				विवरण
				पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1— पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल)								
2— उत्तर मध्यमा (इंटर)								
3— शास्त्री (स्नातक)								
4— आचार्य (स्नातकोत्तर)								
5— प्रशिक्षण	लिखित							
	प्रयोगात्मक							
6—शोधउपाधि/पी.एच.डी./एम.फिल.								

संस्कृत विद्यालयों / महाविद्यालयों का शैक्षिक अनुभव—प्रमाण पत्र संलग्न करें (मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों का शिक्षण अनुभव, जिला शिक्षा अधिकारी, संस्कृत द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित / प्रमाणित करना आवश्यक होगा)।

क्र.सं.	संस्था का नाम	धूत पद	कब से	कब तक	प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित अधिकारी
1					
2					

10. समुदाय (अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) — प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. संलग्नों का विवरण :-

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

घोषणा

मैं..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं, कोई तथ्य असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- 1— आधुनिक विषय (हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, विज्ञान आदि) के लिए पूर्व मध्यमा के स्थान पर हाईस्कूल, उत्तर मध्यमा के स्थान पर इंटर, शास्त्री के स्थान पर स्तानक, आचार्य के स्थान पर स्नातकोत्तर तथा शिक्षा शास्त्री/बी.एड. योग्यताधारी ही मान्य होंगे।

- 2- आवेदन पत्र वांछित संलग्नक (दो सैटों सहित) के साथ पंजीकृत डाक से निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय बी-141, सेक्टर-4 डिफेन्स कालोनी, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित किये जाय।
- 3- आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर बहार दाहिनी ओर जनपद का नाम/विद्यालय का नाम/आवेदित पद का नाम तथा आरक्षित श्रेणी का उल्लेख अवश्य किया जाय।

परिशिष्ट-च

(1) संस्कृत महाविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों का विवरण

क्रमांक	पद नाम	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1.	प्रधानाचार्य	12,000-16500	15,600-39100	बैंड-3	7600
2.	प्रवक्ता	7500-12000	9,300-34,800	बैंड-2	4800
3.	स0 प्रवक्ता	7450-11,500	9,300-34,800	बैंड-2	4600

(2) संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा) (कक्षा 6 से 12 तक)

क्रमांक	पद नाम	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1.	प्रधानाचार्य	12,000-16500	15,600-39100	बैंड-3	7600
2.	प्रवक्ता	7500-12000	9,300-34,800	बैंड-2	4800
3.	स0 अध्यापक	7450-11,500	9,300-34,800	बैंड-2	4600

(3) संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (पूर्व मध्यमा) (कक्षा 6 से 10 तक)

क्रमांक	पद नाम	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1.	प्रधानाध्यापक	8000-13,500	15,600-39100	बैंड-3	5400
2.	स0 अध्यापक	7450-11,500	9,300-34,800	बैंड-2	4600

(4) प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम) (कक्षा 6 से 8 तक)

क्रमांक	पद नाम	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1.	प्रधानाध्यापक	7500-12,500	9,300-34,800	बैंड-2	4800
2.	स0 अध्यापक	7450-11,500	9,300-34,800	बैंड-2	4600

(5) प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)

क्रमांक	पद नाम	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1.	प्रधानाध्यापक	74,50-11,500	9,300-34,800	बैंड-2	4600
2.	स0 अध्यापक	6500-10,500	9,300-34,800	बैंड-2	4200

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव